

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 199/2014)

(संस्थित दिनांक :- 13/03/2014)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. जयवीर सिंह पुत्र रामअवतार सिकरवार उम्र 26 वर्ष
निवासी : दाल बाजार तिराहा ग्वालियर, हाल : नगर पालिका रोड़ पोस्ट
ऑफिस के पीछे वार्ड क्रमांक 14 गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।
..... अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक : 02/05/2017 को घोषित)

01. अभियुक्त जयवीर पर भा.द.सं. की धारा 304 (ए) भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक : 04/01/2014 की रात्रि लगभग 09:00 बजे ग्राम बिरखड़ी भिण्ड-ग्वालियर राष्ट्रीय लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक सुलेमान को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 04/01/2014 की रात्रि लगभग 09:00 बजे ग्राम बिरखड़ी भिण्ड-ग्वालियर राष्ट्रीय लोकमार्ग पर, अज्ञात वाहन चालक द्वारा वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर सुलेमान में टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने की की देहाती नालसी फरियादी कमलेश द्वारा लेखबद्ध कराये जाने पर, अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध जीरो पर कायमी की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर वाहन अज्ञात वाहन के चालक के विरुद्ध थाना गोहद चौराहा में अपराध क्रमांक 03/2014 अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण अब्बास एवं अल्लाफ के कथनों में दुध टिनाकारित करने वाले वाहन के नम्बर का उल्लेख होने के कारण वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 को दस्तावेज की छायाप्रतियाँ सहित जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी जयवीर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी

पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी हरेन्द्र सिंह जादौन का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी कमलेश, अब्बास पुत्र अल्लाउद्दीन, ताहिर, कासिम, दिनेश एवं अल्लाफ के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त जयवीर के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—

01. क्या आरोपी जयवीर ने दिनांक :- 04/01/2014 की रात्रि लगभग 09:00 बजे ग्राम बिरखड़ी भिण्ड—ग्वालियर राष्ट्रीय लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक सुलेमान को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती?

02. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी कमलेश अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह मृतक सुलेमान को जानता है, वह दूसरी गाड़ी पर क्लीनर का काम करता था। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 18/08/2015 से डेढ़ साल पहले की सर्दियों की है। साक्षी आगे कहता है कि वह ग्वालियर से भिण्ड की तरफ ट्रक क्रमांक एम.पी.09/के.डी./8673 से जा रहा था और सामने से एम.पी.06/एस.सी./1006 आ रही थी, जिसको नरेश चालक चला रहा था, जिस पर सुलेमान क्लीनरी करता था। उक्त दोनों गाड़िया कानपुर रोड़ लाईन्स कम्पनी में लगी हुई है, वह लोग बिरखड़ी पर बात कर रहे थे तथा नरेश अपनी गाड़ी को ग्वालियर की तरफ ले जा रहा था। तभी एक गाड़ी भिण्ड की तरफ से तेजी से आई और उसने सुलेमान में टक्कर मार दी, जिससे सुलेमान की मृत्यु हो गई थी, उस समय करीब रात्रि के 09 बज रहे थे। फिर इसकी रिपोर्ट उसने थाना गोहद चौराहा में की थी, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन पत्र बनाया था,

जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने लाश पंचायतनामा बनाया था, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.06 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि जब वह लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तब उनकी गाड़ी साइड से खड़ी थी तथा टायर की हवा चैक रहे थे। उसी समय अज्ञात वाहन ने सुलेमान को टक्कर मार दी थी। पुलिस ने इस संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी कमलेश अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना कारित करने वाला वाहन ट्रक था, टेंकर था या बस थी, वह नहीं बता सकता क्योंकि उस समय अंधेरी रात थी। साक्षी का यह भी कहना है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं जानता, क्योंकि घटना के समय अंधेरी रात थी। इस प्रकार फरियादी कमलेश अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपित दुर्घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी जयवीर की पहचान संबंधी एवं उसके द्वारा ट्रक क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाये जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है।

08. प्रधान आरक्षक गोप सिंह अ.सा.06 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित किया है कि वह दिनांक : 04/01/2014 को थाना गोहद चौराहा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को देहाती नालसी क्रमांक 00/14 अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं. फरियादी कमलेश द्वारा लेख कराये जाने पर असल कायमी हेतु प्राप्त हुई, जिस पर उसके द्वारा अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 03/2014 अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.09 लेखबद्ध की गई, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उल्लेखनीय है कि देहाती नालसी प्र.पी.03 या प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.09 किसी में भी दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का क्रमांक या ट्रक क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 के वाहन चालक के रूप में आरोपी जयवीर का नाम अंकित नहीं है। उक्त देहाती नालसी एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात वाहन के अज्ञात चालक के विरुद्ध लेखबद्ध की गई है।

09. प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह अ.सा.07 का उसके मुख्य परीक्षण में यह कहना है कि वह दिनांक : 04/01/2014 को थाना गोहद चौराहा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा फरियादी कमलेश की रिपोर्ट पर से अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध देहाती नालसी लेखबद्ध की गई थी, तत्पश्चात् उक्त अपराध की विवेचना प्राप्त होने पर उसके द्वारा फरियादी कमलेश साक्षी अब्बास, ताहिर, कासिम, दिनेश, नरेश एवं अल्ताफ के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसने दिनांक 05/01/2014 को घटनास्थल का नक्शा- मौका प्र.पी.06 बनाया था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 11/03/2014 को आरोपी जयवीर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.11 बनाया था। आरोपी द्वारा पेश करने पर ट्रक क्रमांक एम.पी.07/जी./7047 को मय प्रपत्र जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.

12 बनाया था। तत्पश्चात् दिनांक : 11/03/2014 को ही ट्रक मालिक हरेन्द्र सिंह का प्रमाणीकरण प्र.पी.13 प्राप्त किया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में राजेन्द्र अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रमाणीकरण प्र.पी.13 में घटना दिनांक, माह एवं वर्ष नहीं लिखा है। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि वाहन स्वामी ने एक्सीडेंट उसके वाहन द्वारा होना बताया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में राजेन्द्र अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इन सुझावों से इन्कार किया है कि साक्षी अल्ताफ एवं नरेश ने उनके कथन प्र.पी.08 एवं प्र.पी.02 का ए से ए भाग नहीं दिया था। उल्लेखनीय है कि साक्षी नरेश अ.सा.02 एवं अल्ताफ अ.सा.05 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उन्होंने पुलिस को यह बताया था कि दिनांक : 04/01/2014 को ट्रक क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 के चालक ने वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर सुलेमान में टक्कर मार दी थी। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य के संबंध में नरेश अ.सा.02, अल्ताफ अ.सा.05 एवं राजेन्द्र अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा नरेश एवं अल्ताफ के पुलिस कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. प्र.पी.02 एवं प्र.पी.08 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। इस प्रकार विवेचक राजेन्द्र अ.सा.07 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य सत्य प्रतीत नहीं होता है।

10. साक्षी हरेन्द्र अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह ट्रक क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 का पंजीकृत स्वामी है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी गाड़ी को जयवीर सिकरवार, निवासी :- दाल बाजार का चलाता था एवं वहीं ट्रक पर चालक का काम करता था। वह जयवीर को पहचानता है, ६ टना दिनांक को उसकी गाड़ी कौन चला रहा था, इसलिए उसे जानकारी नहीं है। साक्षी आगे कहता है कि उसने अपना प्रमाणीकरण प्र.पी.13 लिखित में दिया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। स्वतः कहा कि पुलिस ने उससे लिखवाया था, उसकी गाड़ी से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। पुलिस ने उसके सामने आरोपी जयवीर को गिरफ्तार नहीं किया था और ना ही गाड़ी जब्त की थी। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.12 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर हरेन्द्र अ.सा.08 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसकी गाड़ी को जयवीर चलाता है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि दुर्घटना के समय उसकी गाड़ी को कौन चला रहा था, क्योंकि गाड़ी उस समय आठ दिवस पूर्व से माल भरने गई हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसे जयवीर ने नहीं बताया था कि जयवीर की तबीयत खराब हो गई थी और उसकी जगह अन्य कोई व्यक्ति उसकी गाड़ी चला रहा था। जयवीर उससे बिना पूछे अपनी सुविधा अनुसार उसकी गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति को चलाने के लिए दे देता है। जयवीर लाईसेंस वाले चालक को ही उसकी गाड़ी चलाने के लिए देता था, उसे यह जानकारी नहीं है कि जयवीर उसकी गाड़ी को किसको देता था, किसको नहीं।

साक्षी आगे कहता है कि वह दसवीं पास है। साक्षी हरेन्द्र अ.सा.08 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रत्येक दस्तावेज को पढ़कर हस्ताक्षर करना चाहिए। साक्षी आगे कहता है कि उसे पुलिस ने यह बताया था कि तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे, जिसकी कोई शिकायत अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी से नहीं की थी। साक्षी हरेन्द्र अ.सा.08 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक : 04/01/2014 को करीबन 09 बजे वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर सुलेमान को टक्कर मार दी थी, जिससे सुलेमान की मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आज आरोपी को बचाने के लिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में हरेन्द्र अ.सा.08 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे चालक जयवीर ने उसके ट्रक से घटना होने की कोई जानकारी नहीं दी थी। उसने आरोपी अधिवक्ता के इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसे घटना, दिनांक एवं वर्ष भी नहीं बताया था एवं प्रमीणकरण प्र.पी.13 में घटना दिनांक, समय एवं स्थान का वर्णन नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसने उक्त प्रमाणीकरण पुलिस के निर्देशन में लिख कर दिया था। प्रथमतः तो हरेन्द्र अ.सा.08 के अलावा प्रस्तुत अन्य अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से कहीं पर भी यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि मृतक सुलेमान की मृत्यु वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 से टक्कर लगने से हुई थी। द्वितीयतः वाहन मालिक हरेन्द्र अ.सा.08 के उपरोक्त विवेचित न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से निर्विवादित रूप से यह स्थापित नहीं होता है कि आरोपित घटना के समय आरोपी जयवीर ही वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 को चला रहा था। तृतीयतः यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि आरोपित घटना के समय आरोपी जयवीर ही कथित रूप से दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 को चला रहा था, तब भी वाहन मालिक हरेन्द्र अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं, जो यह दर्शित करते हो कि आरोपी जयवीर आरोपित घटना के समय उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चला रहा हो। इस प्रकार हरेन्द्र अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जो आरोपित घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी जयवीर की पहचान एवं उसके द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाये जाने के तथ्य को दर्शित अथवा स्थापित करते हो।

12. साक्षी नरेश अ.सा.02, अब्बास अ.सा.04, अल्ताफ अ.सा.05, ताहिर अ.सा.09 एवं कासिम अ.सा.10 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का कोई समर्थन नहीं किया है।

13. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी जयवीर ने दिनांक :- 04/01/2014 की रात्रि लगभग 09:00 बजे ग्राम बिरखड़ी भिण्ड-ग्वालियर राष्ट्रीय लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक सुलेमान को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

14. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी जयवीर ने दिनांक :- 04/01/2014 की रात्रि लगभग 09:00 बजे ग्राम बिरखड़ी भिण्ड-ग्वालियर राष्ट्रीय लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक सुलेमान को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

अंतिम निष्कर्ष

15. अभियोजन आरोपी जयवीर के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त जयवीर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ए भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

16. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

17. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन क्रमांक ट्रक क्रमांक एम.पी.07/जी/7047 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी हरेन्द्र सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद